

पत्रावली अर्थात् 2, 3, 4 एवं 5 वकिल शामिल
अर्थात् नं. 1, 5 लेख दि. 26.6.24 को
पेश होवे।

R

SDO

26.06.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित।
प्रकरण में मूल वाद में प्राथमिक डिक्ली
जारी कर दी गई है। अंतिम निर्णय प्राप्त
होने तक दोनों पक्षों को मौके की यथा
स्थिति बनार रखने हेतु पाबंद किया
जाता है। पत्रावली फॉसल शुमार होकर
सौलमन मूल वाद रहे।

R

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा